

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा०क०अधि०/यु०पी० संशोधन) / १८, दिनांक २३ मई-२०१८,
—:: आदेश ::-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-८८१/१८ दिनांक 22.05.18 द्वारा दिनांक 23.05.18 के लिए पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ के दो सदस्यीय वादों के निरतारण हेतु अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश व श्री आलोक कुमार त्रिवेदी, एच०ज०एस०, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली की खंड पीठ गठित की गयी थी। अपरिहार्य कारणों से उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश के स्थान पर श्री डिप्टी कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-३ लखनऊ को नामित किया जाता है।
सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह०-२३.५.१८
(राजेन्द्र कुमार-IV)
एच०ज०एस०,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा०क०अधि०/यु०पी० संशो०/४९०/२०१८, तददिनांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-३ लखनऊ
2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली।
3-कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,
AMV
प्र०निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।